Annexure - R

कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद
(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)
(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)
तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

क्र. / कॉलेज / एफ–1352(02) / A190025/620 /2020 भोपाल, दिनांक 12/2/2020

आदेश

राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा–24 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए अमलतास एज्युकेशन वेलफेयर सोसायटी के द्वारा संचालित अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को देवास जिले में निम्नानुसार विषय तथा प्रवेश संख्या के आधार पर शिक्षण सत्र 2019–20 (एक वर्ष) के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की सशर्त अस्थायी अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
02	BACHELOR IN MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
03	DIPLOMA IN MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
04	CERTIFICATE IN X-RAY TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
05	CERTIFICATE OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
06	CERTIFICATE IN ULTRA SOUND TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

आवश्यक निर्देश :–

1. संस्था को म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद के समस्त नियम–विनियम अनुसार प्रवेश तथा अन्य कार्यवाही संपन्न कर परिषद द्वारा जारी पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण करवाना होगा। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में संस्था द्वारा परिषद द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 02 मार्च 2020 तक छात्रों के प्रवेश किए जा सकेंगे।
2. मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद के नियम–विनियम अनुरुप निर्धारित संख्या द्वारा महाविद्यालय में उपयुक्त / योग्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सत्र प्रारंभ होने के पूर्व की जाना आवश्यक होगा तथा परिषद को यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा।
3. संस्था द्वारा म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद द्वारा बनाये गये प्रवेश नियमों के अनुसार ही छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
4. शासन / परिषद की ओर से समय–समय पर किए जाने वाले सामान्य एवं आकस्मिक निरीक्षण के दौरान संस्था को आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा एवं संस्था द्वारा ऑन लाईन आवेदन के समय दी गई जानकारी जिसको कि शपथ पत्र के माध्यम से सत्यापित किया गया है उसमें यदि असत्यता पाई जाती है तो संस्था की मान्यता निरस्तीकरण के संबंध में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
5. संस्था को उपरोक्त समस्त सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रमों मे प्रवेशित छात्रों की विषयवार सत्यापित सूची (छात्र का नाम, पिता / पति का नाम, शैक्षणिक अर्हता, प्रवेशित पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश क्र. एवं दिनांक, जन्मतिथि, निवास का पता, इत्यादि) निर्धारित तिथि तक म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद को दिनांक 02 मार्च 2020 तक अनिवार्य रुप से एम. पी. ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् नियमानुसार परिषद प्रतिदिन प्रति छात्र एक हजार का विलम्भ शुल्क प्राप्त कर सकेगी। जिसके लिये संस्था जिम्मेदार होगी।
6. मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित अधिकतम शिक्षण शुल्क के अनुसार ही संस्था को कार्यवाही करना आवश्यक होगा।
7. उपरोक्त आदेश जारी होने के पन्द्रह दिवस के भीतर संस्था को म.प्र.सह–चिकित्सीय परिषद, के पक्ष में सावधि जमा बैंक–सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जी.टी.व्ही. काम्पलेक्स, न्यू मार्केट, भोपाल के खाता क्र. **3716746750 आई.एफ.सी. कोड नं. CBIN0281013** में राशि रुपये पाँच लाख की सावधि जमा के रुप में नगद जमा कर बैंक द्वारा आवश्यक सत्यापन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
8. डिप्लोमा सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के पूर्व संस्था को संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

र्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद

(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)

(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)

तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

ध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-44 (1) एवं (2) में उल्लेखित प्रावधानो के परिप्रेक्ष्य मे सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को परिषद में नामांकन (पंजीयन) हेतु संस्था स्तर से समस्त आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार संस्था से उत्तीर्ण छात्रों को मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय नामांकन (पंजीयन) की सम्पूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी।

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-33 (1) (2) एवं (3) में उल्लेखित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में संस्था मे पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रम और दी जाने वाली परीक्षा अथवा उसके द्वारा ली गई परीक्षा मे अभ्यार्थियो से अपेक्षित प्रवीणता या संस्था मे कर्मचारीवृन्द, उपस्कर, वास-सुविधा, प्रशिक्षण तथा उसमे दिये जाने वाले शिक्षण और प्रशिक्षण की अन्य सुविधाएं मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा विहित स्तरों के अनुरुप नहीं पाए जाने पर सह-चिकित्सीय संस्था को सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमो के संचालन बाबत् दी गई अनुज्ञा/मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

निर्धारित समयावधि में सुरक्षा निधि स्वरुप राशि जमा कराये जाने की सत्यापन प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद में प्रस्तुत नहीं करने पर संस्था द्वारा प्रवेशित छात्रों का ऑन लाईन प्रवेश फार्म स्वीकार नही किया जाएगा।

रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद

लेज/एफ-1352(02) A190025/ /2020 भोपाल, दिनांक . .2020

: - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
आयुक्त, आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
आयुक्त, [illegible] ।
कलेक्टर, जिला- [illegible]
कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ।
अधिष्ठाता, श्री महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर ।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला- उज्जैन ।
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला- उज्जैन ।
जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण जिला- उज्जैन।
Director, National Information Center, Madhya Pradesh, State Center Vindhyachal Bhawan, Bhopal
संचालक, अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवास उज्जैन हाईवे जिला-देवास।
संचालक, एम.पी.ऑनलाईन, डेवलपमेंट कार्यालय, तृतीय तल, स्टेट आईटी पार्क, अब्बास नगर, नियर आर.जी.पी.वी.गांधी नगर, भोपाल। (उक्तानुसार प्रवेश फार्म संबंधी आगामी कार्यवाही हेतु।)
आदेश फाईल

रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद

ppmc.ac.in E-mail:- registrarmpparamedicalcouncil@gmail.com
-https://paramedical.mponline.gov.in ☎ 0755-2775768

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur

Phone: 0761-2670333, 2670338 (Aff.)
Fax: 0761-2670333
Website: mpmsu.edu.in
E-mail: mpmsuregistrar@gmail.com

Address:
Madhya Pradesh Medical Science University,
NSCB Medical College Campus
Bhedaghat Road, Jabalpur, MP-482003

क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./सम्बद्धता/2017/897 जबलपुर, दिनांक 17/02/2017

प्रति,

प्राचार्य,
अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साईसेस,
ग्राम बांगर देवास उज्जैन हाईवे, देवास म.प्र.

विषयः- बी.एस–सी. नर्सिंग नवीन पाठ्यक्रम सत्र 2016–17 हेतु मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा पूर्णतः अस्थायी एवं प्रावधिक रूप से सशर्त संबद्धता प्रदान करने विषयक।

—000—

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल एवं इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमति के आधार पर तदर्थ विद्या परिषद की बैठक दिनांक 09/02/2017 में की गई अनुशंसा तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09/02/2017 में अनुमोदन उपरांत आपके महाविद्यालय को निम्नलिखित पाठ्यक्रम में सत्र 2016–17 हेतु मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा पूर्णतः अस्थायी एवं प्रावधिक रूप से सशर्त संबद्धता प्रदान की जाती हैः–

S. No.	Name of Course	Seats
01	B.Sc.- (Nursing)-First Year	60

शर्तें :-

1. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में सत्र 2016–17 में सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ चाहे गये विभिन्न परिशिष्टों में से यदि किसी परिशिष्ट के अभिलेख/चाही गयी जानकारी महाविद्यालय द्वारा संलग्न कर प्रेषित नहीं की गई है तो ऐसे अभिलेख/चाही गई जानकारी सम्बद्धता पत्र जारी करने के दिनांक से अधिकतम 30 दिवस की अवधि में अनिवार्यतः जमा करायी जाये। अन्यथा स्थिति में सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।
2. आगामी वर्ष 2017–18 की सम्बद्धता/निरंतरता हेतु इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त कर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के निर्धारित सम्बद्धता आवेदन पत्र पर निर्धारित शुल्क सहित आवेदन करना होगा।
3. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक–26 एवं 28 तथा परीक्षा अध्यादेश के प्रावधानों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। जिसकी प्रति विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।
4. कॉलेज कोड 28, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुरूप प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से निरंतर करनी होगी।

5. महाविद्यालय में प्राचार्य/शिक्षकों की रिक्तियां होने पर तीन माह की अवधि में नियुक्ति करनी होगी अन्यथा महाविद्यालय को प्रदत्त की गई अस्थायी एवं प्रावधिक सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।
6. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन किया जाये जिसमें विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सम्मलित हों। इन बैठकों का कार्यवाही विवरण विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
7. विषय से सम्बधित उपकरणों/पुस्तकों की व्यवस्था इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली तथा विश्वविद्यालय के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप करना होगी।
8. इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली तथा मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किये गये नियमों एवं मापदण्डों का पालन करना होगा।
9. महाविद्यालय का स्वयं का भवन होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ शासन से प्राप्त भवन संबंधी अनुमति पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
10. विश्वविद्यालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पूर्ति नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की गई अस्थायी एवं प्रावधिक सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।
11. महाविद्यालय में इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुसार नियुक्त किये गये प्राचार्य एवं शिक्षकों के नियुक्ति आदेश तथा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी समस्त अभिलेख (संबंधित की फोटो सहित) विश्वविद्यालय में जमा कराये जाये।

कुलसचिव
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
जबलपुर

पृ. क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./सम्बद्धता /2017/297 A *जबलपुर, दिनांक 17/02/2017*

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. परीक्षा नियंत्रक/सहा. कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) शाखा, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. कार्यालय कुलपति/कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।

उप-कुलसचिव (संबद्धता)
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
जबलपुर

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5–332/2015/55–2 भोपाल, दिनांक दिसम्बर, 2015

प्रति,

सचिव,
भारत सरकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः– **बी.एस.सी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम प्रारंभ करने बावत–अमलतास इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साईन्स देवास म.प्र.।**

=00=

उपर्युक्त विषयांकित निजी क्षेत्र में नर्सिंग पाठ्यकम प्रारंभ करने के लिए प्राप्त आवेदन पत्र पर भारतीय उपचर्या परिषद के मापदण्डों एवं अन्य आवश्यक शर्तों के प्रकाश में **अमलतास एज्यूकेशनल वेलफेयर सोसायटी, समिति तहसील इंदौर जिला–इंदौर म0प्र0** द्वारा प्रस्तावित **अमलतास इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साईन्स देवास म.प्र. में बी.एस.सी. (नर्सिंग)** पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए **60(साठ)** सीट्स हेतु राज्य शासन द्वारा **डिजायरबिलिटी एवं फिजिबिलिटी (D.&F.) प्रमाण–पत्र** निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान किया जाता है:–

1. संस्था को भारतीय उपचर्या परिषद के निरीक्षण के पूर्व भवन, भूमि, स्टॉफ, उपकरण आदि सभी निर्धारित मानदण्डों/ कमियों को पूर्ण करना आवश्यक होगा। इनकी पूर्ति के पश्चात ही भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली (भारत सरकार) द्वारा भौतिक निरीक्षण उपरांत अनुमति प्रदान की जाए।
2. संस्था भारतीय उपचर्या परिषद के मानदण्डों के अनुसार स्टाफ नियुक्ति करेगी।
3. संस्था को शासन द्वारा कोई वित्तीय सहायता/ अनुदान नहीं दिया जायेगा।
4. संस्था को संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना होगी।
5. संस्था नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व नैदानिक सामग्री की व्यवस्था करेगी।
6. संस्था राज्य शासन के समस्त नियम/निर्देशों का पालन करेगी।
7. संस्था भारत शासन एवं भारतीय उपचर्या परिषद से लिखित में अनुमति मिलने के पश्चात एवं राज्य शासन की अनुमति से प्रवेश प्रदान करेगी।
8. संस्था प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शी नीति निर्धारित कर छात्रों को प्रवेश देगी।
9. संस्था राज्य शासन द्वारा निर्धारित फीस लेगी इसके अतिरिक्त अन्य कोई फीस नहीं लेगी।
10. संस्था के निरीक्षण में संबंद्व अस्पताल में छात्र–बिस्तर अनुपात 1:3 जो भारतीय नर्सिंग परिषद का अनिवार्य मापदंड है, नही पाए जाने पर संस्था के निरीक्षण के समय भारतीय नर्सिंग परिषद इस तथ्य को ध्यान मे रख कर यथोचित निर्णय लेवे। जिले में पूर्व में अन्य संस्थाओं को आईएनसी द्वारा दी गई स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में छात्र विस्तर 1:3 अनुपात की पूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए यथोचित निर्णय आईएनसी द्वारा लिया जाए।

पाद टिप्पणी : प्रधान नियमावली नामतः "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियमावली, 2000" भारत के गजट के भाग–III, खंड 4 में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 14 अगस्त, 2000 की अधिसूचना सं. 34(41)/2000–मेडि. के अंतर्गत दिनांक 07 अक्तूबर को प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 22/03/2005, 23/09/2009, 09/12/2009, 29/12/2009 11/01/2010, 16/04/2010, 03/11/2010 और 29/12/2015 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था ।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2017

No. MCI-18(1)/2017-Med./123598.—In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations, 2000." namely:–

1. (i) These regulations may be called the "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations, 2000.".

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations, 2000.", further amended till 29/12/2015, the following additions/ modifications / deletions / substitutions, shall be as indicated therein:–

3. Clause 3 sub-clause 4 under the heading "Qualifying Criteria" in Part – I "Scheme for Permission of the Central Government for Opening a new Or higher course of study or training (Including a Postgraduate Course of Study or Training) in a Medical College or Institution" i.e. "That the medical college/institution has a feasible and time bound programme to provide additional equipment and infrastructural facilities like the number of staff, space, funds, equipment and teaching beds etc, for starting these higher courses as laid down in the Medical Council of India Regulations. ", shall be deleted.

4. Clause 3 sub-clause 4 under the heading "Qualification Criteria" in Part – II "Scheme for permission of the Central Government to increase the admission capacity in any course of study or training (including Post Graduate course of study or training) in the existing Medical Colleges/Institutions." i.e. "That the medical college/institution has a feasible and time bound programme to provide additional equipment and infrastructural facilities like the number of staff, space, funds, equipment and teaching beds etc, for increased numbers as laid down in the Medical Council of India Regulations. ", shall be deleted.

Dr. REENA NAYYAR, Secy. (I/c)

[ADVT.-III/4/Exty./140/17]

Footnote : The Principal Regulations namely, "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Postgraduate course of Study or Training) Regulations, 2000" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on 7th October vide Medical Council of India Notification No. 34(41)/2000-Med, dated the 14th August, 2000 and amended vide Medical Council of India Notification dated 22/03/2005; 23/09/2009; 09/12/2009; 29/12/2009; 11/01/2010; 16/04/2010 , 03/11/2010 and 29/12/2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.07.10 19:47:19 +05'30'

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2016

No.MCI-34(41)/2016-Med./135453.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Opening of a New or Higher Course of Study or Training (Including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training(Including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations 2000", namely:—

1. (i) These Regulations may be called the "Opening of a New or Higher Course of Study or Training (Including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training(Including a Postgraduate Course of Study or Training(Amendment) Regulations 2016".

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Opening of a New or Higher Course of Study or Training (Including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training(Including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations 2000", the point no.3.2 of the Qualifying Criteria of "(A) Part II **Scheme for permission of the Central Government to increase the admission capacity in any course of study or training (including Postgraduate course of Study or Training) in the existing medical colleges/institutions" shall be "deleted".**

Dr. REENA NAYYAR, Secy. I/c

[ADVT-III/4/Exty./273 (100)]

Foot Note: The Principal Regulations namely, "Opening of a New or Higher Course of Study or Training (Including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training(Including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations 2000"were published in Part–III, Section (4) of the Gazette of India on the 7th October, 2000 vide Medical Council of India Notification No.34(41)/2000/Med., dated 14th August, 2000 and amended vide MCI notifications dated 22/03/2005, 29/07/2008. 23/09/2009, 09/12/2009, 11/01/2010, 16/04/2010, 03/11/2010, 29/12/2015 and 29/04/2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.10.25 11:09:55 +05'30'

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5–191/2016/55–2 भोपाल, दिनांक नवम्बर, 2016

प्रति,

सचिव,
भारत सरकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः– **एम.एस.सी (नर्सिंग) पाठ्यक्रम में प्रारंभ करने बावत्– अमलतास इस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साईन्स, देवास, म.प्र।**

=00=

उपर्युक्त विषयांकित निजी क्षेत्र में नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए प्राप्त आवेदन पत्र पर भारतीय उपचर्या परिषद के मापदण्डों एवं अन्य आवश्यक शर्तों के प्रकाश में **अमलतास एज्यूकेशनल वेलफेयर सोसायटी,1/6 मनोरमागंज गीता भवन के पास ,इंदौर,म.प्र.** द्वारा प्रस्तावित **अमलतास इस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साईन्स, देवास,मध्यप्रदेश एम.एस.सी** पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए **20 (बीस) (चाईल्ड हेल्थ–05, ओ.बी.जी–05,कम्युनिटि–05,मेडिकल सर्जिकल–05)** सीट्स हेतु राज्य शासन द्वारा **डिजायरबिलिटी एवं फिजिबिलिटी (D.&F.)** प्रमाण–पत्र **2017–18** के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान किया जाता है :–

1. संस्था को भारतीय उपचर्या परिषद के निरीक्षण के पूर्व भवन, भूमि, स्टॉफ, उपकरण अदि सभी निर्धारित मानदण्डों/ कमियों को पूर्ण करना आवश्यक होगा। इनकी पूर्ति के पश्चात ही भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली (भारत सरकार) द्वारा निरीक्षण उपरांत अनुमति प्रदान की जाए।
2. संस्था भारतीय उपचर्या परिषद के मापदण्डों के अनुसार स्टाफ नियुक्ति करेगी।
3. संस्था को शासन द्वारा कोई वित्तीय सहायता/ अनुदान नहीं दिया जायेगा।
4. संस्था को संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना होगी।
5. संस्था नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व नैदानिक सामग्री की व्यवस्था करेगी।
6. संस्था राज्य शासन के समस्त नियम/ निर्देशों का पालन करेगी।
7. संस्था भारत शासन एवं भारतीय उपचर्या परिषद से लिखित में अनुमति मिलने के पश्चात् एवं राज्य शासन की अनुमति से प्रवेश प्रदान करेगी।
8. संस्था प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शी नीति निर्धारित कर छात्रों को प्रवेश देगी।
9. संस्था राज्य शासन द्वारा निर्धारित फीस लेगी इसके अतिरिक्त अन्य कोई फीस नहीं लेगी।
10. संस्था के निरक्षण में संबंद्ध अस्पताल में छात्र बिस्तर अनुपात 1:3 नही पाया गया तो भारतीय नर्सिंग परिषद का अनिवार्य मापदंड है। अतः संस्था के निरिक्षण के समय भारतीय नर्सिंग परिषद इस तथ्य को ध्यान मे रख कर यथोचित निर्णय लेवे।

निरंतर....2/–

11. संस्था का स्वयं का 100 बिस्तरीय चिकित्सालय होने की आईएनसी की शर्त की पूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए आईएनसी द्वारा निर्णय लिया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(शर्मिला ठाकुर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ–5– 191/2016/पचपन/2, **भोपाल,दिनांक 30 नवम्बर, 2016**

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद,आठवॉ तल एनबीसीसी सेन्टर प्लाट न.2 कम्यूनिटी सेन्टर, ओरवला फेज–1, नई दिल्ली–110020.
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क्रमांक 31/डीएमई/एन/2016, दिनांक 29.11.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कलेक्टर, जिला देवास, ,मध्यप्रदेश।
4. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल, गौवंतिका परिसर, 12 दफ्तर रोड़, जवाहर चौंक, भोपाल।
5. निज सचिव, मान. मंत्रीजी,/राज्य मंत्रीजी, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. **सचिव/अध्यक्ष अमलतास एज्यूकेशनल वेलफेयर सोसायटी,1/6 मनोरमागंज गीता भवन के पास ,इंदौर मध्यप्रदेश**
7. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

30/11/16
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

चिकित्सा शिक्षा विभाग

अनुसूची–9
नियम–5(6) देखिए
मान्यता प्रमाण पत्र का प्रारूप

मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल,
गोमन्तिका परिसर, तृतीय तल, जवाहर चौक, भोपाल।

क्रमांक / म.प्र.न.र.क. / 20 / 132 भोपाल, दिनांक : 22/01/2020

मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018 के तहत **Amaltas Insitute of Nursing Sciences, Dewas, Dewas** पंजीयन क्रमांक **A190218** को निम्न नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु मान्यता प्रदान करता है:–

क्रमांक	पाठ्यक्रम	शैक्षणिक सत्र	छात्र संख्या
1	B.Sc. (Renewal)	2019-20	60
2	G.N.M. (Renewal)	2019-20	40
3	M.Sc. (Nursing) Medical Surgical Nursing (Renewal)	2019-20	10
4	M.Sc. (Nursing) Obstetric Nursing (Renewal)	2019-20	5
5	M.Sc. (Nursing) Pediatric Nursing (Renewal)	2019-20	9
6	P.B B.Sc. (New)	2019-20	20

मान्यता की शर्तें:–

1. यह मान्यता "मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018" के तहत शासित है।
2. सभी पाठ्यक्रमों के लिये मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल में रजिस्ट्रेशन के पूर्व पाठ्यक्रम से संबंधित अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना एवं पाठ्यक्रम अनुसार इंटर्नशिप पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
3. संस्था द्वारा छात्र अथवा उस के पालक से प्राप्त की जाने वाली विभिन्न फीस / शुल्क की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी:–

(अ) प्रवेश, शिक्षण, विकास / संधारण, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, आदि शुल्क के लिए समय–समय पर राज्य प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि।

(ब) पंजीयन परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम की अंकसूची / प्रमाण–पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल / मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर म.प्र. द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि।

4. यह मान्यता स्वयं की घोषणा के आधार पर दी जा रही है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मान्यता निरस्त की जावेगी।

AMALTAS INSTITUTE OF NURSING SCIENCES * DEWAS *
Principal

Signature valid
Digitally Signed By Jayanti Chaurasia
(Personal)
Date: 22-Jan-2020 19:24:29 IST

हस्ताक्षर
श्रीमती जयंती चौरसिया
रजिस्ट्रार

दिनांक :- 22/01/2020